

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
दिनांक: 16-08-2019

कमांक: एफ 1-15()/स्था / 19 / 16705

आदेश

प्राकृतिक आपदा बाढ़/अतिवृष्टि से बचाव की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले में कार्यरत समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता से स्वीकृति प्राप्त किये बिना मुख्यालय व अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। तहसील एवं उपखण्ड स्तर पर कार्यरत विभागीय अधिकारी / कर्मचारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी से मुख्यालय छोड़ने व अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे। समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के स्वीकृत अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपनी उपस्थिति मुख्यालय पर दें।

यदि किसी अधिकारी द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये मुख्यालय छोड़ने एवं अवकाश पर चले जाने की जानकारी होगी तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

SA
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पलानार्थ :-

1. समस्त प्रभारी अधिकारी, कार्यालय हाजा।
2. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी जिला भीलवाड़ा।
3. समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला भीलवाड़ा।
4. समस्त तहसीलदार जिला भीलवाड़ा।
5. समस्त नायब तहसीलदार जिला भीलवाड़ा।
6. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति जिला भीलवाड़ा।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भीलवाड़ा।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी ओर संचार विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि संबंधित समस्त अधिकारीगणों को जरिये ई-मेल उक्त पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें।
(अपलोड)
10. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

SA
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा